रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 178] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

संख्या 37/1/13/83/डी .—राष्ट्रपति का दिनांक 17 अक्तूबर, 1983 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा को मंगलवार, 15

नवम्बर, 1983 को 11.00 बजे प. पू. नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हू ।

17 अक्तूबर, 1983

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।''

अवतार सिंह रिखी, सचिव ।

## LOK SABHA SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

No. 37|1|XIII|83|T.—The following order by the President dated the 17th October, 1983, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi, on Tuesday, the 15th November, 1983 at 11.00 A.M.

17th October, 1983

ZAIL SINGH, President."

AVTAR SINGH RIKHY, Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983